India to Vanaspati industry during the last three years is as under:—

Year	(in lakh MT) Imported oil supplied
1986-87	4.84
1987-88	6.17
1988-89	0.715

(c) The price escalation per kg in Delhi (+) Increase / (—) Decrease since October 1989 to December, 1989, January 1990 to March, 1990 and April 1990 to 15th July, 1990 was (—) Rs. 3.27, (+) Rs. 3.20 and (+) Rs. 4.67 respectively;

उचित दर दुकानों पर बेची जा रही आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

2028. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उचित दर दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बेची जाने वाली चीनी, चावल, गेहूं जैसी वस्तुओं के मूल्यों में हाल ही के महीनों में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो 1987–88, 1988–89 और 1989–90 में मार्च के महीने में इन दुकानों पर गेहूं, चीनी और चावल के मूल्य कितने-कितने थे ;

(ग) क्या यह सच है कि इन वस्तुओं के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो आम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए प्रारंभ की गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि किए जाने का क्या औचित्य है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में **राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल :** (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई करने हेतु चावल व गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में हाल में वृद्धि की गई है। उचित दर की दुकानों के स्तर पर इन मदों के अंतिम खुदरा मूल्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियत किए जाते हैं और ये विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होते हैं।

(ख) 1987–88 से चावल व गेहू के केन्द्रीय निर्गम मूल्य नीचे दिए गए हैं।

(रु० प्रति क्विंटल)

चावल (कच्चा तथा सेला)

निम्न तारीख से लागू	कामन	फाइन	सुपर फाइन
1–10–1987	239.00	264.00	279.00
25–1–1989	244.00	304.00	325.00
25–6–1990	289.00	349.00	370.00

निम्न तारीख से लागू	गेहूं
1-5-1987	195.00
25-3-1988	204.00
1-5-1990	234.00

उचित दर दुकान के स्तर पर लेवी चीनी का अंतिम खुदरा मूल्य इस प्रकार है :

तारीख, जिससे लागू हैं	खुदरा मूल्य (रु० प्रति कि० ग्रा०)
15-2-1986	4.85
1-01-1988	5.10
1-01-1989	5.25

(ग) और (घ) सरकार द्वारा गेहूं व धान के समर्थन मूल्यों में वृद्धि होने पर समय-समय पर चावल तथा गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में संशोधन किया जाता है, ताकि खाद्य राज-सहायता को नियंत्रण में रखा जा सके, परन्तु इन मूल्यों को उचित स्तरों पर नियत किया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी के खुदरा मूल्य, गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि होने तथा परिवर्तन लागतों में वृद्धि के आधार पर संशोधित किए जाते हैं। तथापि, 1-1-89 से इस मूल्य में संशोधित नहीं किया गया है।

लहसुन और प्याज का उत्पादन

2029. **श्री बलराम सिंह यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लहसून और प्याज का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मद का वर्षवार कितना-कितना उत्पादन हुआ था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि घरेलू मांग पूरी हो जाने के पश्चात् इन मदों का निर्यात किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इनका कितना-कितना निर्यात किया गया था ; और

(ङ) इन वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार उत्पादकों को क्या-क्या सुविधायें देने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री नितिश कुमार) (क) देश में लहसुन और प्याज का भारी मात्रा में उत्पादन किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में लहसुन और प्याज का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(उत्पादन "000 मीटरी टन में)

	1986-87	1987-88	1988-89
लहसुन	208.2	318.6	242.3
प्याज	2532.6	2700.7	3232.4

(ग) जी, हां।